भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1736

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

ई-सिगरेट और बीड़ी पर जीएसटी

†**1736. श्री सी॰ आर॰ पाटीलः**

श्री एम॰ बी॰ राजेशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर माल और सेवा कर (जीएसटी) कराधान की मौजूदा दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में आयात किए गए इन उत्पादों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईएनडीएस के विभिन्न अवयव पर अलग-अलग कर लगता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीड़ी को छः माल श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और उस पर उपकर नही लगता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या कई बीड़ी इकाइयों को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क): ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर 18% की दर से जीएसटी लगायी जाती है।

(ख): इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के आयात पर 7.5% की दर से आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जाता है। और इस आधारभूत सीमा शुल्क पर 10% का सामाजिक कल्याण अधिभार भी लगाया जाता हैः- और साथ में ही इस पर 18% की आईजीएसटी (जीएसटी के बदले में) लगायी जाती है।

(ग): इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के विशेष घटकों पर 18% की जीएसटी और 7.5% आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के सहायक/सामान्य घटकों पर वही कर लगता है जो कि उस टैरिफ के संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत आता है जिनमें ऐसी वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया होता है।

(घ): बीड़ी पर सबसे अधिक 28% की दर से जीएसटी लगायी जाती है। जीएसटी परिषद ने बीड़ी पर प्रतिपूर्ति उपकर लगाए जाने की सिफारिश नहीं की है।

(ड़): ऐसे किसी भी वस्तु-विनिर्माता/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, जिसका एक साल में कुल कारोबार 20 लाख रुपए से कम होता है, को जीएसटी में पंजीकरण से छूट दी गयी है। यह रियायत छोटी बीड़ी इकाईयों को भी उपलब्ध है।

*****